

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

का.आ. 1867(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 24 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-केम. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1964 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4995 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

S.O. 1867(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2023”.

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1964(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4995(E) dated the 21st October, 2022.